

प्रेषक,

सदाकान्त,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मथुरा ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक : 07 अगस्त, 2012

विषय :- मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (सिविल) नं0-659/2007 सम्बद्ध रिट पिटीशन(सिविल) संख्या-133/2012 दि इन्वायरमेन्टल एण्ड कामन प्रोटेक्शन आदि बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेशों का अनुपालन विषयक ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्चतम न्यायालय के समक्ष रिट पिटीशन (सिविल) नं0-659/2007 सम्बद्ध रिट पिटीशन (सिविल) संख्या-133/2012 दि इन्वायरमेन्टल एण्ड कामन प्रोटेक्शन फाउण्डेशन आदि बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य विचाराधीन है । मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 03.08.12 (प्रतिलिपि संलग्न) में निम्नलिखित आदेश पारित किया है :-

- 1- प्रस्तर-1 में- ' A team of Doctors from the civil hospital Vrindavan/ Mathura shall visit the four government run shelter homes at least twice a week from 10.00 a.m. to 12.00 noon examine the ailing inmates . However, in case of an emergency, on being informed, the Chief Medical Officer shall ensure that the patient is attended by a doctor from the hospital without any undue delay. '
- 2- प्रस्तर-2 में- ' The officer in-charge ' of the sanitation/health department of the Vrindavan Minicipal Corporation shall insure that rooms/hall housing the widows and toilets in the said shelter homes are cleaned daily and fumigated regularly. '
- 3- प्रस्तर-3 में- As suggested by the state of U.P. A team comprising the district probation officer and district social welfare shall be constituted fourthwith to ensure that proper food and drinking water is supplied to the inmates of the said shelter homes. The said team shall also explore the possibility of heavy a common mess for the inmates at each of the shelter homes .

4- अतः आपसे अपेक्षा है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 03.08.12 का तत्काल अनुपा सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से अवगत करायें ।

संलग्नक-यथोक्त ।

भवदीय,

(सदाकान्त)
(सदाकान्त)
प्रमुख सचिव ।

संख्या 615(i)/60-3-12-2रिट/08 तददिनांक ।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
- 1- निदेशक, महिला कल्याण/प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम, लखनऊ ।
 - 2- मण्डलीय उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, आगरा मण्डल, आगरा ।
 - 3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, मथुरा ।
 - 4- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(मिश्रीलाल पासवान)
(मिश्रीलाल पासवान)
विशेष सचिव ।